रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD- NO- D- L--33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2014/ज्येष्ठ 30, 1936
No. 186] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2014/JYAISTHA 30, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 17 जून, 2014

सं. टीएएमपी/17/2014-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का **38**) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एनएमपीटी में स्थित सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) सुविधा हेतु अनंतिम दरों के निर्धारण हेतु न्यू मंगलौर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, एतद्द्वारा निपटाता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/17/2014-एनएमपीटी

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास --- आवेदक

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री सी.बी. सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मई 2014 के 20वें दिन पारित)

यह प्रकरण, एनएमपीटी स्थित सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) सुविधा पर पोतों के प्रहस्तन हेतु तदर्थ दरों को निर्धारित करने के लिए न्यू मंगलौर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. एनएमपीटी ने दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अपने पत्र के जरिए एसपीएम प्रचालनों के लिए, इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम दर निर्धारित किए जाने तक, अनंतिम दर के लिए अनुमोदन मांगते हुए एक प्रस्ताव दाखिल किया था। इस प्रस्ताव के साथ उपयोक्ताओं की सहमति नहीं भेजी गई थी।

2.2. बाद में, एनएमपीटी ने दिनांक 2 अप्रैल, 2014 के अपने पत्र के जरिये मंगलौर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के दिनांक 25 मार्च, 2014 के पत्र के आधार पर एसपीएम प्रचालनों के लिए कोच्चि पत्तन न्यास (सीओपीटी) के प्रचलित दरमान में प्रदत्त दरों को पूरी तरह अपनाते हुए, अनन्तिम आधार पर निम्नलिखित दरों का अनुमोदन मांगा है:

(क)	**पत्तन देयताएं**	**@ अम.डॉ 0.377 प्रति जीआरटी**
(**ख**)	**पाइलाटेज प्रभार**	**@ अम.डॉ 0.4259 प्रति जीआरटी**
(**ग**)	**पोतघाट शुल्क**	₹25/- **प्रति मीट्रिक टन**
(**घ**)	**टग किराया प्रभार**	**अम.डॉ** 606.56 **प्रति घंटा**

2.3. एनएमपीटी ने कहा है कि दिनांक 2 अप्रैल, 2014 का प्रस्ताव दिनांक 24 फरवरी, 2014 के इसके ही प्रस्ताव के अधिक्रमण में है।

2.4. एनएमपीटी में दिनांक 25 मार्च, 2014 के एमआरपीएल का सहमति पत्र भी भेज दिया है। यह देखा गया है कि (एनएमपीटी द्वारा अग्रेषित) दिनांक 25 मार्च, 2014 के अपने पत्र में एमआरपीएल ने, एसपीएम सुविधा हेतु अंतिम दर अधिसूचित किए जाने तक, उपरोक्त दरों को अनन्तिम रूप में अपनाए जाने के लिए अपनी स्वीकृति सूचित की है और अनुरोध किया है कि प्रस्तावित अनन्तिम दरों को एसपीएम सुविधा के प्रचालन की तिथि से अपना लिया जाए। एमआरपीएल ने एनएमपीटी को भेजे गए अपने पत्र में अनुरोध किया है कि वह वर्तमान परिकलनों के अनुरूप पत्तन को किया गया अतिरिक्त भुगतान वापिस करें।

3. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि एनएमपीटी ने दिनांक 14 मार्च, 2014 को विस्तृत लागत परिकलनों के साथ-साथ एसपीएम प्रचालनों के लिए अंतिम दर निर्धारित किए जाने के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया है जिसे एमआरपीएल के साथ-साथ अन्य सम्बद्ध उपयोक्ताओं से विचार विमर्श के लिए लिया गया है और उस पर कार्रवाई अलग से की जा रही है। यह देखा गया है कि एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित अंतिम दर इसके द्वारा प्रस्तावित अनंतिम दर से अधिक है। एनएमपीटी ने अंतिम दरों का अनुमोदन एसपीएम पर वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तिथि से मांगा है जो कथित तौर पर 29 अगस्त, 2013 है।

4.1. एनएमपीटी ने सूचित किया है कि एसपीएम पर वाणिज्यिक प्रचालनों को 29 अगस्त, 2013 से प्रारंभ किया गया है। एमआरपीएल की ओर से इस स्थिति पर भी कोई विवाद नही है। एनएमपीटी का प्रचलित दरमान एनएमपीटी स्थित एसपीएम प्रचालनों के लिए कोई विशिष्ट दर प्रदान नहीं करता है। प्राचालनों की लागत पर आधारित एनएमपीटी द्वारा दाखिल किया गया अंतिम दर के निर्धारण के प्रस्ताव पर प्रदत्त नियमित परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रक्रिया की

जानी है। इसी बीच, एसपीएम प्रचालनों हेतु अंतिम दर निर्धारित किए जाने तक दरों की वसूली हेतु पत्तन को अधिकार प्रदान करने के लिए एक अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था तो करनी ही होगी, क्योंकि कथित एसपीएम के प्रचालन पहले ही प्रारंभ हो चुके हैं।

4.2. 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.12, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुबंध करती है कि जब कोई एक नई सुविधा प्रारंभ (कमीशन) की जाती है अथवा किसी पत्तन द्वारा मौजूदा सुविधा का निजीकरण किया जाता है तो, अनुमेय प्रारंभिक प्रशुल्क, उसी पत्तन की तुलनीय सेवाओं हेतु प्रचलित प्रशुल्क स्तर से अधिक नही होना चाहिए। यदि इस प्रकार की तुलना उपलब्ध नही है, तो किसी नजदीकी पत्तन में प्रचलित तुलनीय प्रशुल्क पर संदर्भ (प्रशुल्क) स्तर के रूप में विचार किया जा सकता है। इस प्रकार स्वीकृत प्रारंभ प्रशुल्क प्रचालन के पहले वर्ष हेतु वैध रहेगा, जिसके बाद निजी प्रचालक की अनुमेय लागत और निवेश के आधार पर संशोधित प्रशुल्क निर्धारित किया जाएगा।

4.3. तात्कालिक प्रकरण में, एनएमपीटी में एसपीएम पर अपने कच्चे तेल के प्रहस्तन हेतु एमआरपीएल द्वारा बनाई गई एसपीएम, एक नई सुविधा है। जैसाकि इसके पहले कहा गया है, एनएमपीटी के दरमानों में एसपीएम सुविधा हेतु कोई विशिष्ट दर नहीं दी गई है। जबतक कि अंतिम लागत आधारित दरें निर्धारित की जती हैं अनन्तिम आधार पर एसपीएम प्रचालनों के लिए एनएमपीटी ने पोटघाट प्रभार, पाइलटेज शुल्क, टग किराया प्रभार (वापिस खीचने वाले प्रचलनों के लिए) पत्तन देयताओं हेतु प्रस्ताव किया है। इस उद्देश्य के लिए, एनएमपीटी ने, कोच्चिं पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान में एसपीएम प्रचालनों के लिए, जो भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा चलाए जा रहे हैं, प्रदत्त दर को अपनाया है।

4.4. एमआरपीएल ने दिनांक 25 मार्च, 2014 के अपने पत्र के जरिए अनंतिम आधार पर प्रस्तावित दर हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हुए अनुरोध किया है कि इस (अनंतिम) दरों के लिए वाणिज्यिक प्रचालनों के प्रारंभ की तिथि से अनुमोदन प्रदान किया जाए। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि, दिनांक 6 जनवरी 2012 के पिछले सामान्य प्रशुल्क संशोधन आदेश में इस प्राधिकरण ने सुस्पष्ट रूप से एनएमपीटी को यह सलाह दी थी कि एसपीएम प्रचालनों के लिए एक सुविश्लेषित प्रस्ताव पचालन प्रारंभ किए जाने के समय से पहले ही प्रस्तुत कर दे और, जब तक एसपीएम हेतु एक पृथक दर निर्धारित की जाती है तब तक के लिए एनएमपीटी को एनएमपीटी के दरमान में प्रदत्त पोतघाट शुल्क वसूलने के लिए अनुमति दी गई थी। एनएमपीटी एसपीएम प्रचालन को प्रारंभ करने के समय से पहले प्रस्ताव दाखिल करने में असफल रहा। केवल निरंतर याद दिलाने के बाद ही एनएमपीटी ने दिनांक 2 अप्रैल, 2014 का प्रस्ताव दाखिल किया है। अनंतिम दर निर्धारित किए जाने हेतु (दाखिल) कथित प्रस्ताव संबद्ध उपयोक्ता, अर्थात एमआरपीएल, द्वारा अंतिम प्रभार निर्धारित किए जाने तक प्रस्तावित पोतघाट शुल्क के साथ-साथ कार्गो संबंधी प्रभारों के लिए अनंतिम आधार पर दी गई सहमति पर आधारित है।

4.5. कोच्चिं पत्तन न्यास में सदृश प्रचालनों हेतु प्रदत्त दर को अपनाते हुए एसपीएम की अनंतिम दर हेतु प्रस्तुत का एनएमपीटी प्रस्ताव 2005 के मार्गदर्शियों की धारा 2.12 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप पाया गया है। इसके अलावा, एनएमपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव को, फाइनल दरें निर्धारित

किये जाने तक अनन्तिम आधार पर दोनों कार्गो संबंधी प्रभारों अर्थात पोतघाट शुल्क पोत संबंधी प्रभार के लिए प्रस्तावित दरें लगाने हेतु संबद्ध उपयोक्ता एमआरपीएल की सहमति प्राप्त है। चूंकि अनंतिम प्रशुल्क व्यवस्था निर्धारित किए जाने हेतु (प्रस्तुत) प्रस्ताव 2005 के मार्गदर्शियों के अनुरूप है और एमआरपीएल ने भी इस पर सहमति दे दी है, अनंतिम आधार पर दर लगाने के लिए प्रस्तुत एनएमपीटी के प्रस्ताव का कुछ परिवर्तनों के अधीन, जैसे, पत्तन देयताओं के लिए सीओपीटी दरों की बजाय एनएमपीटी के दरमान में प्रचलित के अनुसार दर प्रदान करना और तटीय यात्रा की मद में सरकारी नीति और 2005 के मार्गदर्शियों के अनुसार रियायती, रुपयों में मूल्यांकित पत्तन संबंधी प्रभार शामिल करना, समर्थन देने हेतु यह प्राधिकरण तैयार है जिसकी अनुवर्ती पैराग्राफों में व्याख्या की गई है।

4.6. एनपीटी ने, सीओपीटी के प्रचलित दरमान में पत्तन प्रदत्त पत्तन देयताओं के अनुसार विदेशगामी पोतों हेतु अम.डॉ. 0.377 प्रति जीआरटी प्रति प्रवेश पत्तन देयताएं अपनाने हेतु प्रस्ताव दिया है। पत्तन देयता एक शुल्क है जो पत्तन में प्रवेश हेतु पोत द्वारा भुगतान किया जाता है। सीओपीटी में, एसबीएम पर कच्चे तेल टैंकरों के लिए पत्तन देयताओं को बर्थों पर टैंकर पोतों पर पत्तन देयताओं के बराबर निर्धारित किया गया है। एनएमपीटी का प्रचलित दरमान पोत/स्टीमर्स के रूप में संदर्भित सभी वर्गों के पोतों के लिए, समान पत्तन देयता प्रदान करता है। चूंकि पत्तन देयता पोत प्रवेश हेतु एक शुल्क है और सीओपीटी में अपनाई गई सदृशता का अनुसरण करते हुए, यह उचित पाया गया है कि एसपीएम पोतों के लिए पत्तन देयताओं को एनएमपीटी के प्रचलित दरमान में पीओएल पोतों पर लागू पत्तन देयताओं के बराबर अर्थात विदेश-गामी पोतों के लिए अम।डॉ 0.143 प्रति जीआरटी प्रति प्रवेश और तटीय पोतों के लिए ₹ 2.52 प्रति जीआरटी प्रति प्रवेश प्रदान किया जाना चाहिए।

4.7. एनएमपीटी ने केवल विदेशगामी पोतों हेतु दर प्रस्तावित की है। इसने तटीय पोतयातरा यान के लिए तदनुरूप पोत संबंधी प्रभार प्रस्तावित नहीं किया है। 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शी और सरकार की तटीय रियायत नीति, दोनों अपेक्षा करते है कि तटीय पोतो के लिए पोत संबंधी प्रभारों की मद में, विदेशगामी पोत के लिए निर्धारित दर के 60% पर रियायती दर प्रदान की जाए। चूंकि एनएमपीटी ने एसपीएम हेतु सीओपीटी के प्रचलित दरमान में विदेश गामी पोतों हेतु पाइलटेज और टग किराया प्रभारों को अपनाया है, प्रचलित सीओपीटी के दरमान में तटीय पोतों पर प्रभार्य दरों को भी अनंतिम दर के रूप में अपनाया जा सकता है। 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शी कार्गो संबंधी प्रभारों, यथा कच्चे तेल हेतु पोतघाट शुल्क रियायत पर विचार नही करती।

4.8. सामान्यतः इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दर भावी प्रभाव से होती हैं। किंतु तात्कालिक प्रकरण में, हालांकि एनएमपीटी ने एसपीएम पर अगस्त, 2013 में वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ किया गया है, वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किए जाने के समय से पहले पत्तन द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने कारण, पत्तन द्वारा प्रदत्त पाइलटेज, टग किराया इत्यादि जैसी एसपीएम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए कोई प्रदत्त दर उपलब्ध नही है। इस प्रकार, इस प्राधिकरण के समक्ष एसपीएम में वाणिज्यिक प्रचलनों की तिथि से दर प्रदान करने हेतु एक पूर्व घटित सत्य स्थिति आ

गई है। ऐसी स्थिति में, यह प्राधिकरण एसपीएम प्रचालनों के लिए अनंतिम दरों को एसपीएम पर वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तिथि अर्थात 20 अगस्त, 2013 के पिछले प्रभाव से जैसाकि एनएमपीटी द्वारा बताया गया और एमआरपीएल द्वारा पुष्टि की गई है, अनुमोदित करता है। 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.12., समीप के पत्तन के सादृश सेवाओं का प्रशुल्क को एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु अपनाने के लिए अनुमोदन प्रदात करते हुए, यह भी अनुबंध करती है कि यदि यह साबित हो जाता है कि किए गए अधिक निवेश को देखते हुए प्रचलित दरमान को स्वीकार करना प्रचालक के लिए कष्टकारी हो सकता है, तब एसे मामले में प्रचालन प्रारंभ होने की तिथि से ही लागत आधारित अंतिम प्रशुल्क के लिए अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि अंतिम दर निर्धारित किए जाने के समय यह देखा जाता है कि अनंतिम आधार पर सीओपीटी दरें अपनाने से पत्तन कठिनाई में पड़ जाएगा, तब अंतिम दर का निर्धारण 2005 के मार्गदर्शियों की धारा 2.12 का अनुपालन करते हुए उचित ढंग से किया जाएगा। प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.12. अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था एक वर्ष के लिए अनुमोदित करती है। इसलिए, कथित अनंतिम दरों को 29 अगस्त, 2013 से एक साल के लिए अथवा एसपीएम हेतु अंतिम दर निर्धारित हेतु एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को निपटाते हुए (जारी किए जाने वाले) आदेश के क्रियान्वयन की तिथि, इन दोनों में से जो भी पहले हो, हेतु अनुमोदित किया जाता है।

4.9. एमआरपीएल ने, अनंतिम दरों को अपनी सहमति सूचित करते हुए एनएमपीटी से अनुरोध किया है कि वह कथित तौर से एमआरपीएल द्वारा एनएमपीटी को किया गया अतिरिक्त भुगतान वापिस करें। एनएमपीटी द्वारा प्रभारित दरों का और एमआरपीएल द्वारा किए गए भुगतान की राशियों के ब्यौरे हमे उपलब्ध नही कराये गए है। एनएमपीटी ने एमआरपीएल के अनुरोध पर कोई टिप्पणी भी नही दी है। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न है क्योंकि कि एनएमपीटी ने दिनांक 6 जनवरी, 2012 के प्रशुल्क आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, प्रचालन आरंभ होने से पर्याप्त समय फले एसपीएम प्रचालनों के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है। इसलिए, एनएमपीटी को ही एमआरपीएल द्वारा किए गए अनुरोध पर निर्णय लेना होगा।

5.1. परिणामस्वरूप, और ऊपर वर्णित कारणों से तथा समग्र विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण एसपीएम सुविधा के लिए अनन्तिम दरों को, जैसा संलग्नक में दिया गया है, एसपीएम स्थित वाणिज्यिक प्रचलनों के प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 29 अगस्त, 2013 से, पूर्व व्यापी प्रभाव के साथ अनुमोदन प्रदान करता है।

5.2. यह अन्तरिम प्रशुल्क व्यवस्था 29 अगस्त, 2013 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा एसपीएम के लिए अंतिम दर निर्धारित करने हेतु एनएमपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव को निपटाने वाले आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इन में से जो भी पहले हो, विध होगी।

5.3. एनएमपीटी को निर्देश दिया जाता है कि वह तदनुसार अपने दरमान में सुधार करें।

टी. एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2014]

संलग्न

आदेश सं. टीएएमपी/34/2010-एनएमपीटी के जरिए अनुमोदित (और) भारत का राजपत्र में राजपत्र सं. 38 के जरिए अधिसूचित निम्नलिखित को न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान में डालें:

(i). एनएमपीटी के प्रचलित दरमान में अध्याय II पोत संबंधी प्रभार के अंतर्गत अनुसूची 2.1. – पत्तन देता में निम्नलिखित डालें:

प्रभार्य पोत (15 टन और अधिक के समुद्र में जाने वाले पोत)	दर प्रति जीआरटी		उसी पोत के संबंध में भुगतान की बारंबारता	
	विदेशगामी पोत (अम. डालर में)	तटीय पोत (₹ में)	विदेशगामी पोत (अम. डालर में)	तटीय पोत (₹ में)
एसएमपी में कच्चे तेल का टैंकर	0.143	2.32	प्रत्येक प्रवेश	प्रत्येक प्रवेश

(ii). एनएमपीटी के प्रचलित दरमान में अध्याय II – पोत संबंधी प्रभार के अंतर्गत अनुसूची 2.2- पाइलाटेज में मद (iii) के रूप में निम्नलिखित डालें:

पोतों का वर्गीकरण	दर प्रति जीआरटी	
	विदेशगामी पोत (अम. डालर में)	तटीय पोत (₹ में)
(iii). एसपीएम प्रचालनों के लिए पाइलाटेज शुल्क	0.4259	11.69
(क). 30000 जीआरटी तक		
(ख). 30001 जीआरटी से 60000 जीआरटी तक		
(ग). 60001 जीआरटी और अधिक		

(iii). एनएमपीटी के प्रचलित दरमान में अध्याय–II पोत संबंधी प्रभार के अंतर्गत अनुसूची 2.2.1. एसपीएम प्रचालनों के लिए तग्स के किराये के लिए प्रभार के रूप में निम्नलिखित को डालें:

विवरण	दर प्रति ताग घंटा या उसका अंश	
	विदेशगामी पोत (अम. डालर में)	तटीय पोत (₹ में)
एसपीएम प्रचालनों के लिए टग किराया प्रभार	606.56	16645.00

(iv). एनएमपीटी के प्रचलित दरमान में अध्याय III – पोत घाटशुल्क की अनुसूची के अंतर्गत अनुसूची 3.2. – बल्क कार्गो के अंतर्गत क्रम. सं. 3 (i) के रूप में निम्नलिखित डालें:

क्रंम सं.	कार्गो	इकाई	विदेशी (₹ में)	तटीय (₹ में)
3.	**पीओएल**			
	(i). एसपीएम में कच्चा तेल	मी.ट	25.00	25.00

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th June, 2014

No. TAMP/17/2014-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the New Mangalore Port Trust for fixation of provisional rates for Single Point Mooring (SPM) facility at NMPT as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/17/2014-NMPT

New Mangalore Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 20th day of May, 2014)

This case relates to the proposal received from New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of adhoc rates for handling of vessels at Single Point Mooring (SPM) facility at NMPT.

2.1 The NMPT vide its letter dated 24th February, 2014 had filed a proposal seeking approval of rates for SPM operations on provisional basis till the final rates are determined by this Authority. This proposal was not accompanied with consent of the concerned users.

2.2 The NMPT has subsequently vide its letter dated 2nd April, 2014 sought approval of the following rates on provisional basis totally adopting rates prescribed in the existing Scale of Rates of Cochin Port Trust (COPT) for SPM operations based on the consent letter of Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) dated 25th March, 2014:

(a)	Port dues	@ US $ 0.377 per GRT
(b)	Pilotage charges	@ US $ 0.4259 per GRT
(c)	Wharfage	`25/- per MT
(d)	Tug Hire charges	US $ 606.56 per hour

2.3. The NMPT has stated that its proposal dated 2nd April, 2014 supersedes its earlier proposal dated 24th February, 2014.

2.4. The NMPT has also forwarded the consent letter of MRPL dated 25th March, 2014. It is seen that MRPL in its letter dated 25th March, 2014 (forwarded by the NMPT) has conveyed its acceptance for adoption of the above mentioned rates provisionally till such time final rates for SPM facility are notified and have requested to adopt the proposed provisional rates from the date of operation of SPM facility. The MRPL in their consent letter addressed to NMPT has requested refund of excess paid to the port as per the present calculation.

3. It may be relevant to mention that the NMPT has filed a proposal dated 14th March, 2014 for fixation of final rate for SPM operations along with detailed cost calculation which has been taken on consultation with this concerned users including MRPL and is being processed separately. The final rate proposed by NMPT are found to be higher than the provisional rates proposed by it. The NMPT has sought approval of the final rates from the date of commencement of commercial operation at SPM reported to be 29th August, 2013.

4.1. The NMPT has reported that commercial operations at SPM commenced on 29th August, 2013. The MRPL has also not disputed this position. The existing Scale of Rates of the NMPT do not prescribe any specific rate for the SPM operations at the NMPT. The proposal for fixation of final rate filed by NMPT based on the cost of operations, has to be processed following the usual consultation process prescribed. In the meantime, there has to be an interim tariff arrangement authorizing port to levy the rates till the final rates are fixed for SPM operations, as the operations at the said SPM have already commenced.

4.2. Clause 2.12 of the 2005 guidelines stipulates inter alia, that when a new facility is commissioned or existing facilities are privatised by any port trust, the initial tariff to be allowed should not exceed the existing tariff level at the same port for comparable facilities. If such comparison is not available, prevailing tariff at comparable nearby port can be considered as the reference level. The initial tariff so adopted will be valid for the first year of operation whereafter revised tariff will be fixed based on the admissible cost and investment of the private operator.

4.3. In the instant case, SPM is a new facility created at the NMPT by the MRPL for handling its crude at SPM. As stated earlier, no specific rate is prescribed in the Scale of Rates of the NMPT for SPM facility. The NMPT has proposed wharfage charge, pilotage fee, tug hire charges (for pull back operations) and port dues for the SPM operations on provisional basis till the final cost based rates are determined. For this purpose, the NMPT has adopted the rate prescribed in the existing Scale of Rates of the Cochin Port Trust for SPM operations which is carried out by Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL).

4.4. The MRPL in its letter dated 25th March, 2014 while giving consent to the proposed rate on provisional basis has requested to approve the same from the date of commencement of the commercial operations. It may be relevant here to state that this Authority in the last tariff general revision Order of NMPT dated 6th January, 2012 had categorically advised the NMPT to file a well analysed proposal for SPM operations well ahead of commencement of operations and till such time a separate rate for SPM is determined, NMPT was allowed to levy the wharfage rate prescribed in the Scale of Rates of the NMPT. The NMPT failed to file the proposal for SPM operations well ahead of commencement of operations. It is only after follow up that the NMPT has filed its proposal dated 2nd April, 2014. The said proposal for fixation of provisional rate is based on the consent of the concerned user i.e. MRPL for the proposed wharfage as well as cargo related charges on provisional basis till a final rate is determined.

4.5. The proposal of the NMPT seeking approval of interim rate for SPM adopting the rate prescribed for similar operations in Cochin Port Trust is found to be in line with the provision prescribed in clause 2.12 of the 2005 guidelines. Moreover, the proposal filed by the NMPT has the consent of the concerned user viz. MRPL for levy of the proposed rate both cargo related charge i.e. wharfage and vessel related charges on provisional basis till the final rates are determined. Since the proposal for fixing interim tariff arrangement is in line with the provision in the 2005 guidelines and also consented by the MRPL, this Authority is inclined to endorse the consented proposal of the NMPT for levy of rates on provisional basis subject to a few modifications viz. prescribing the rate for port dues as prevailing in the Scale of Rates of NMPT instead of COPT rate and inclusion of concessional rupee denominated vessel related charges towards coastal leg as per the Government policy and the tariff guidelines of 2005 which are explained in the subsequent paragraphs.

4.6. The NMPT has proposed to adopt the port dues of US $0.377 per GRT per entry for foreign-going vessel as per the port dues prescribed in the existing Scale of Rates of the COPT. Port dues is a fee for entry of vessel into the port. At COPT, the port dues for Crude oil tankers at SBM has been prescribed at par with the port dues for tanker vessels at the berths. The existing Scale of Rates of NMPT prescribes uniform port dues for all categories of vessels referred as “Ships/ Steamers”. Since port due is a fee for entry of the vessel and following the analogy followed in COPT, it is found appropriate to prescribe port dues for SPM vessel at par with port dues applicable in the existing SOR of NMPT for POL vessels i.e. USD 0.143 per GRT per entry for foreign-going vessel and ₹ 2.52 per GRT per entry for coastal vessel.

4.7. The NMPT has proposed rate only for foreign going vessel. It has not proposed the corresponding vessel related charges for the coastal leg. The tariff guidelines of 2005 as well as the coastal concession policy of the Government requires prescription of concessional rate for coastal vessel towards vessel related charges at 60% of the rate prescribed for its foreign counterpart. Since the NMPT has adopted the pilotage and tug hire charge for SPM from the existing Scale of Rates of COPT for foreign going vessel, the rates applicable for coastal vessel can also be adopted from the existing Scale of Rates of the COPT as provisional rate. The tariff guidelines of 2005 do not envisage concession in the cargo related charges viz. wharfage for Crude.

4.8. Ordinarily, the rates approved by this Authority have prospective effect. But in the instant case, though the NMPT commenced commercial operations at SPM in August, 2013, in the absence of any proposal from the port's side well head of commencement of operation, there is no rate approved for the various SPM related services like pilotage, tug hire etc., offered by the port. Thus, a fait accompli situation is arisen before this Authority for prescribing the rate from the date of commercial operations at SPM. That being so, this Authority approves the provisional rates for SPM operations retrospectively from the date of commencement of commercial operations at SPM i.e. 29th August, 2013 as reported by the NMPT and confirmed by MRPL. Clause 2.12. of the 2005 tariff guidelines while allowing to adopt the tariff of nearby port for comparable services for an initial period of one year, also stipulates that if, it is established that adoption of existing tariff would cause hardship to the operator, in view of higher level of investment made, then in that case the cost based final tariff would be allowed right from commencement of the operation. Thus, if at the time of fixation of final rate it is found that adoption of COPT rates on provisional basis will cause hardship to the port, then fixation of final rate will be dealt with in an appropriate manner following Clause 2.12 of the 2005 tariff guidelines. Clause 2.12 of the tariff guidelines allows the interim tariff arrangement for period of one year. Hence, the said provisional rates are approved for a period of one year from 29th August, 2013 or till the effective date of implementation of the Order disposing of the proposal filed by NMPT for fixation of final rate for SPM, whichever is earlier.

4.9. The MPRL while conveying consent to the provisional rates has made a request to NMPT to refund the excess amount reportedly paid by MRPL to NMPT. The details of rate levied by NMPT and the amount paid by MRPL are not made available to us. The NMPT also has not furnished any comments on the request made by MRPL. This position has arisen because the NMPT has not filed the proposal for fixation of tariff for SPM operations well ahead of commencement of operations as advised by the Authority in the tariff Order dated 6th January, 2012. Therefore, it is for the NMPT to look into the request made by the MRPL.

5.1. In the result, and for the reasons explained above, and based on collective application of the mind, this Authority approves the provisional rates for SPM facility as attached in **Annex** with retrospective effect from the date of commencement of commercial operations at SPM i.e. 29th August, 2013.

5.2. The interim tariff arrangement will be valid for a period of one year from 29 August, 2013 or till the effective date of implementation of the Order disposing of the proposal filed by NMPT for fixation of final rate for SPM whichever is earlier.

5.3. The NMPT is directed to amend its Scale of Rates accordingly.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty/143/2014]

Annex

Insert the following in the existing Scale of Rates of the New Mangalore Port Trust approved vide Order No. TAMP/34/2010-NMPT notified in the Gazette of India on 21st February, 2012 vide Gazette No. 38.

(i). Insert the following in the Schedule 2.1. - Port Dues under Chapter II – Vessel Related Charges in the existing Scale of Rates of the NMPT:

Vessels chargeable (Sea going vessels of 15 tonnes and above)	Rate per GRT		Frequency of payment in respect of the same vessel	
	Foreign-going vessel (in US $)	Coastal vessel (in ₹)	Foreign-going vessels (in US $)	Coastal vessels (in ₹)
Crude Oil Tanker at SPM	0.143	2.32	Each entry	Each entry

(ii) Insert the following as item (iii) in the Schedule 2.2. - Pilotage under Chapter II – Vessel Related Charges in the existing Scale of Rates of the NMPT:

Classification of the vessels	Rate per GRT	
	Foreign - going vessel (in US $)	Coastal vessel (in ₹)
(iii). Pilotage fee for SPM operations	0.4259	11.69
(a). Upto 30000 GRT		
(b). 30001 GRT to 60000 GRT		
(c). 60001 GRT and above		

(iii). Insert the following as Schedule 2.2.1. - Charges for Hire of Tugs for SPM operations under Chapter II – Vessel Related Charges in the existing Scale of Rates of the NMPT:

2.2.1 Charges for Hire of Tugs

Particulars	Rate per tug hour or part thereof	
	Foreign - going vessel (in US $)	Coastal Vessel (in ₹)
Tug hire charges for SPM operations	606.56	16645.00

(iv). Insert the following as Sl. No. 3(j) under Schedule 3.2. Bulk Cargo under Chapter III – Schedule of Wharfage Charge in the existing Scale of Rates of the NMPT:

Sl. No.	Cargo	Unit	Foreign (in ₹)	Coastal (in ₹)
3.	**P.O.L.**			
	(j). Crude oil at SPM	MT	25.00	25.00

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.